**भारत सरकार**

**रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय**

**औषध विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1164**

**दिनांक 27 जुलाई, 2018 को उत्‍तर दिए जाने के लिए**

**चीन में पर्यावरण व्यवधान के कारण ए पी आई के दाम में वृद्धि**

**1164. श्री माजीद मेमन:**

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सरकार के ध्यान में आया है कि चीन में पर्यावरण व्यवधान के फलस्वरूप सक्रिय फार्मास्यूटिकल्स सामग्रियों (एपीआई) जैसे महत्वपूर्ण प्रारंभिक सामग्रियों (के एस एम) के दामों में 120 प्रतिशत तक की अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(ख) क्या यह सच है कि प्रदूषण से प्रभावित हो रही इकाइयों के ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जिसके फलस्वरूप चीन में आपूर्ति अनियमितताओं में उभार आ रहा है और जिससे उत्पाद के दाम प्रभावित हो रहे हैं;

(ग) क्या कच्चे तेल के दामों के रुझानों ने समर्थन बाजार को भी प्रभावित किया है, जिसके फलस्वरूप ए पी आई का विनिर्माण करने संबंधी लागत संरचना बढ़ रही है; और

(घ) सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्‍तर**

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय; जहाजरानी मंत्रालय और रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनसुख एल. मांडविया)**

**(क) से (ग):** आयातित एपीआई और केएसएम के मूल्य में वृद्धि हुई है। तथापि, प्रदूषण से प्रभावित हो रही इकाइयों या चीन में आपूर्ति अनियमितताओं में उभार से संबंधित कोई विशिष्ट घटना सरकार के ध्यान में नहीं आई है। साथ ही, कच्चे तेल के दामों के रुझानों से अपने ऋण चुकाने में समर्थ बाजार के प्रभावित होने से संबंधित किसी विशिष्ट मामले की सूचना भी सरकार के ध्यान में नहीं आई है।

इसके अलावा, घरेलू एपीआई के उत्पादन और निर्यात में वृद्धि हो रही है। सक्रिय औषधीय घटकों/बल्क औषधियों देश से होने वाले निर्यात में पिछले तीन वर्षों के दौरान वृद्धि हुई है जिसका ब्यौरा इस प्रकार है:-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| उत्पाद समूह | 2014-15  मूल्य  (रुपए करोड़ में) | 2015-16  मूल्य  (रुपए करोड़ में) | 2016-17  मूल्य  (रुपए करोड़ में) | 2017-18  मूल्य  (रुपए करोड़ में) |
| बल्क औषधियां, औषधि मध्यवर्ती सामग्रियां | 1791.99 | 23515.55 | 22683.30 | 22823.54 |

(स्रोत: डीजीसीआईएस कोलकाता)

..2/-

-2-

**(घ):** सरकार औषधियों पर आयात निर्भरता को कम करके सम्पूर्ण देशीय औषधि विनिर्माण में भारत के पर्याप्त रूप से आत्मनिर्भर बनाने और भारतीय औषध उद्योग को वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार द्वारा समय-समय पर नीतियां बनाई जाती हैं ताकि आयात पर देश की निर्भरता को कम किया जाए और देशीय विनिर्माण को गति प्रदान की जाए। इस दिशा में, सरकार ने दिनांक 28.01.2016 की अपनी अधिसूचना के तहत बल्क औषधियों/एपीआई की कुछ श्रेणियों की सीमा शुल्क की छूट को वापस ले लिया है। साथ ही सरकार बल्क औषधियों के देशीय विनिर्माण को गति प्रदान करने के लिए विनिर्माताओं द्वारा अपेक्षित सभी प्रकार की मंजूरियों को मुहैया करा रही है।

\*\*\*\*\*